भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-4
उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

भारतीय प्रबंध संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियमित भर्ती

†*4. श्री उज्जवल रमण सिंह:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पंद्रह वर्षों के दौरान भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए संस्थान-वार सृजित और भरे गए नियमित पदों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) 1998 से 2021 तक केंद्रीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद के लिए श्रेणी-वार अर्थात अनारक्षित/सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी नियमित भर्तियां की गई;
(ग) संविदा के आधार पर (सेवा में व्यवधान सहित या बिना व्यवधान के) सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले संकायों का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) भारतीय प्रबंध संस्थानों में आरक्षित श्रेणी के पद पर अनारक्षित श्रेणियों से नियुक्त किए गए संकाय सदस्यों की संस्थान-वार संख्या कितनी है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

******

'भारतीय प्रबंध संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियमित भर्ती' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 25.11.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 4 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): आज की स्थिति के अनुसार, देश में 21 भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) हैं और ये सभी आईआईएम भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 (2023 में संशोधित), भारतीय प्रबंध संस्थान नियम, 2018 (2022 और 2023 में संशोधित) और संबंधित संस्थान द्वारा इसके तहत बनाए गए विनियमों द्वारा शासित होते हैं।

आईआईएम अधिनियम के तहत, आईआईएम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) को अकादमिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पदों के सृजन और उन पर नियुक्तियां करने का अधिकार है। इसके अलावा, प्रत्येक संस्थान ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए विनियम बनाए हैं, जिनमें भर्ती नियमों के लिए विनियम भी शामिल हैं।

आईआईएम ने बताया है कि वे फ्लेक्सी कैडर प्रणाली का पालन करते हैं, जिसके तहत योग्यता और अनुभव के आधार पर संकाय को सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आईआईएम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले पंद्रह वर्षों के दौरान **(2009 से 2024)** सृजित और भरे गए नियमित संकाय पदों की कुल संख्या **अनुलग्नक-**I में दी गई है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1998 से 2021 तक यूजीसी द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लगभग 16000 अनारक्षित, 2900 एनसी-ओबीसी, 3900 एससी और 2900 एसटी के रिक्त पद भरे गए।

(ग): आईआईएम ने सूचित किया है कि आईआईएम में सहायक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर के पदों पर कोई संविदा नियुक्ति नहीं है। कुछ आईआईएम ने सूचित किया है कि वे अनुबंध के आधार पर संबंधित उद्योगों और शिक्षा जगत से विजिटिंग प्रोफेसर और प्रैक्टिस प्रोफेसरों की नियुक्ति करते हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुबंध के आधार पर सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में कार्यरत संकाय सदस्यों का विवरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

(घ) जुलाई, 2019 में अधिसूचित केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 में केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (सीईआई) में शिक्षक संवर्ग में स्वीकृत पदों में से सीधी भर्ती में पदों का आरक्षण निर्दिष्ट किया गया है, जो आईआईएम के लिए भी लागू है।

*****

अनुलग्नक-*I*

'भारतीय प्रबंध संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियमित भर्ती' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 25.11.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 4 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले पंद्रह वर्षों के दौरान (2009 **से** 2024) **आईआईएम में सृजित और भरे गए संकाय पदों का आईआईएम-वार विवरण।**

क्र. सं.	**आईआईएम**	**2009 से 2024 के दौरान सृजित संकाय पद**	**2009 से 2024 के दौरान भरी गई रिक्तियां**
1	अहमदाबाद	0	107
2	कलकत्ता	38	92
3	बैंगलोर	0	93
4	लखनऊ	0	67
5	इंदौर	116	154
6	कोझिकोड	82	99
7	शिलांग	46	36
8	रोहतक	92	129
9	रायपुर	80	49
10	रांची	91	93
11	तिरुचिरापल्ली	94	72
12	उदयपुर	60	72
13	काशीपुर	64	36
14	अमृतसर	60	18
15	सिरमौर	53	44
16	बोधगया	144	63
17	संबलपुर	65	56
18	नागपुर	60	54
19	विशाखापत्तनम	48	48
20	जम्मू	62	65
21	मुंबई	63	53

*****

अनुलग्नक– II

'भारतीय प्रबंध संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियमित भर्ती' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 25.11.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 4 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संविदा के आधार पर (सेवा में व्यवधान सहित या बिना व्यवधान के) काम करने वाले संकायों का विवरण (01.11.2024 तक)					
क्र.सं.	**केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम**	**प्रोफेसर**	**एसोसिएट प्रोफेसर**	**सहायक प्रोफेसर**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	0	34	34
2	आंध्र प्रदेश केंद्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय	0	0	1	1
3	राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	0	0	0	0
4	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	1	0	0	1
5	महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0
6	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	0	0	0	0
7	दिल्ली विश्वविद्यालय	0	0	0	0
8	जामिया मिलिया इस्लामिया	0	0	78	78
9	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	0	0	0	0
10	एसएलबीएस राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	0	0	0	0
11	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	0	0	351	351
12	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0
13	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	0	10	10
14	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0

15	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	0	1	1
16	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	0	48	48
17	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	0	12	12
18	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	0	48	48
19	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0
20	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय	0	0	5	5
21	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0
22	एम जी ए हिन्दी विश्वविद्यालय	0	0	31	31
23	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0
24	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	0	17	17
25	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	0	0	6	6
26	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय	1	0	12	13
27	तमिलनाडू केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0
28	एम.ए. एन. उर्दू विश्वविद्यालय	0	0	157	157
29	हैदराबाद विश्वविद्यालय	0	0	0	0
30	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	0	0	0	0
31	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय	0	0	0	0
32	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	0	0	127	127

33	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	0	0	74	74
34	बी.बी.ए. विश्वविद्यालय	0	0	0	0
35	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	0	0	0	0
36	विश्व भारती	0	0	0	0
37	असम विश्वविद्यालय	0	0	0	0
38	तेजपुर विश्वविद्यालय	0	0	3	3
39	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	0	0	0	0
40	मणिपुर विश्वविद्यालय	0	0	0	0
41	नॉर्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय	0	0	0	0
42	मिजोरम विश्वविद्यालय	0	0	0	0
43	नागालैंड विश्वविद्यालय	0	0	5	5
44	सिक्किम विश्वविद्यालय	1	3	4	8
45	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	0	0	6	6

*****